न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : पंकज गढवाल (आर0ए0एस0)
वाद सं0 : 779 सन 2021
अनवान :–

1. विनोद कुमार पुत्र मेहरचन्द जाति जाट निवासी ढिलकी जाटान तहसील नोहर
2. महावीर पुत्र लिखमा जाति जाट निवासी ढिलकी जाटान तहसील नोहर
3. सुभाष पुत्र ख्यालीराम जाति जाट निवासी ढिलकी जाटान तहसील नोहर

वादीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

असल प्रतिवादी

2. अन्नपुर्णी पत्नी मेहरचन्द जाति जाट निवासी ढिलकी जाटान तहसील नोहर
3. जयकौरी पुत्री लिखमा जाति जाट निवासी ढिलकी जाटान तहसील नोहर
4. मोहनी पुत्री लिखमा जाति जाट निवासी ढिलकी जाटान तहसील नोहर
5. रोशनी पुत्री लिखमा जाति जाट निवासी ढिलकी जाटान तहसील नोहर
6. विधा पुत्री लिखमा जाति जाट निवासी ढिलकी जाटान तहसील नोहर
7. कृष्णा पत्नी कुरडाराम जाति जाट निवासी ढिलकी जाटान तहसील नोहर
8. कालूराम पुत्र कुरडाराम जाति जाट निवासी ढिलकी जाटान तहसील नोहर
9. संदीप कुमार पुत्र कुरडाराम जाति जाट निवासी ढिलकी जाटान तहसील नोहर
10. राजबाला पुत्री कुरडाराम जाति जाट निवासी ढिलकी जाटान तहसील नोहर
11. विमलादेवी पुत्री कुरडाराम जाति जाट निवासी ढिलकी जाटान तहसील नोहर
12. सुमन पुत्री कुरडाराम जाति जाट निवासी ढिलकी जाटान तहसील नोहर
13. फूली पत्नी पतराम जाति जाट निबासी ढिलकी जाटान तहसील नोहर
14. विमला पुत्री पतराम जाति जाट निवासी ढिलकी जाटान तहसील नोहर
15. जयसिह पुत्र पतराम जाति जाट निवासी ढिलकी जाटान तहसील नोहर
16. बनवारी पुत्र पतराम जाति जाट निवासी ढिलकी जाटान तहसील नोहर
17. लालचन्द पुत्र पतराम जाति जाट निवासी ढिलकी जाटान तहसील नोहर

तरतीबी प्रतिवादी

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 ।
उपस्थित : श्री भरतसिह बैनीवाल अधिवक्ता वादी
निर्णय दिनांक :– 04/11/2024

वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 आरटीएक्ट इस आश्य का पेश किया की रोही मौजा बडबिराना के खाता संख्या 411 / 388 के खसरा न0 64 / 2 की 0. 5030हैक्‍ व खाता संख्या 435 / 414 के खसरा न0 64 / 4 की 0.1670हैक्‍ भूमि वादीगण एव प्रतिवादीगण के नाम बतौर गेरखातेदार दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

सम्वत 2012 में वाद भूमि पूर्व में वादीगण एव प्रतिवादीगण के पूर्वज श्योजी वल्द किसना के नाम दर्ज थी वादीगण एव प्रतिवादीगण के पूर्वज श्योजी वल्द किसना के देहान्त होने एवे उनके पुत्र मेहरचन्द , लिखमा , ख्यालराम , पतराम के देहान्त होने पर विरास्तन से वाद भूमि वादीगण एव प्रतिवादीगण के नाम बतौर गेरखातेदार दर्ज चली आ रही है। इसलिये वाद भूमि वादीगण के हक हिस्सा की भूमि है।

वाद भूमि वादीगण को [illegible] के देहान्त होने पर विरास्तन से प्रप्त हुई श्योजी वल्द किसना की [illegible] से पूव कब्जे काश्त की भूमि है किन्तु राजस्व रिकार्ड मे गैरखातेदार दर्ज कर रखा है जिससे वादीगण के [illegible] अधिकारों का

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.11.08 17:51:06 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

हनन होता है वादीगण वाद भूमि को बतौर खातेदर अपने नाम दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वाद भूमि सम्वत 2012 से पूर्व की नोतोड करदा भूमि है जिसे वादीगण के पूर्वज श्योजी वल्द किसना ने निकाली थी तब से लेकर आज तक पूर्व में श्योजी एव उसके वाद श्योजी के वारिसान एव वर्तमान में वादीगण के कब्जा काश्त में चली आ रही है।

वाद भूमि वादीगण के पूर्वजों श्योजी के द्वारा सम्वत 2012 से पूर्व की कब्जा काश्त की भूमि है जिसके वे खातेदार काश्तकार हो चुके है किन्तु राजस्व रिकार्ड में वादीगण को गैरखातेदार दर्ज कर रखा है जिससे वादीगण के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है वादीगण अपने कब्जा काश्त की भूमि जो राजस्व रिकार्ड में गैरखातेदार दर्ज को बतौर खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

अतः वादीगण का वाद डिक्री किया जाकर रोही मौजा बडबिराना के खाता संख्या 411/388 के खसरा न0 64/2 की 0.5030हैक व खाता संख्या 435/414 के खसरा न0 64/4 की 0.1670हैक भूमि वादीगण एव प्रतिवादी संख्या 2 ता 17 के नाम राजस्व रिकार्ड में बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज करने के आदेश फरमावे।

वादीगण का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 2 ता 17 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादीगण के वाद को स्वीकार किया जाकर ईकबाल जबाब पेश किया जा चुका है तथा प्रतिवादी संख्या 1 की और से पेरोकार राज उपस्थित आकर जबाब पेश किया की वाद भूमि के खातेदारी अधिकार वादीगण के द्वारा चाहे गये है वादीगण के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहको को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे जबाब शामिल मिसल किया वादीगण से साक्ष्य लिये गये वादीगण साक्ष्य में शपथ पत्र एव दस्तावेजात पेश किये जो शामिल मिसल किया जाकर उभयपक्षों को सुना गया ।

वादीगण के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा बडबिराना के खाता संख्या 411/388 के खसरा न0 64/2 की 0.5030हैक व खाता संख्या 435/414 के खसरा न0 64/4 की 0.1670हैक भूमि वादीगण एव प्रतिवादीगण के नाम बतौर गेरखातेदार दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

सम्वत 2012 में वाद भूमि पूर्व में वादीगण एव प्रतिवादीगण के पूर्वज श्योजी वल्द किसना के नाम दर्ज थी वादीगण एव प्रतिवादीगण के पूर्वज श्योजी वल्द किसना के देहान्त होने एवे उनके पुत्र मेहरचन्द , लिखमा , ख्यालराम , पतराम के देहान्त होने पर विरास्तन से वाद भूमि वादीगण एव प्रतिवादीगण के नाम बतौर गेरखातेदार दर्ज चली आ रही है। इसलिये वाद भूमि वादीगण के हक हिस्सा की भूमि हैं

वाद भूमि वादीगण को अपने पूर्वज श्योजी वल्द किसाना के देहान्त होने पर विरास्तन से प्रप्त हुई श्योजी वल्द किसाना की सम्वत 2012 से पूर्व कब्जे काश्त की भूमि है किन्तु राजस्व रिकार्ड मे गैरखातेदार दर्ज कर रखा है जिससे वादीगण के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है वादीगण वाद भूमि को बतौर खातेदर अपने नाम दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वाद भूमि सम्वत 2012 से पूर्व की नोतोड करदा भूमि है जिसे वादीगण के पूर्वज श्योजी वल्द किसना ने निकाली थी तब से लेकर आज तक पूर्व में श्योजी एव उसके वाद श्योजी के वारिसान एव वर्तमान में वादीगण के कब्जा काश्त में चली आ रही है।

वाद भूमि वादीगण के पूर्वजों श्योजी के द्वारा सम्वत 2012 से पूर्व की कब्जा काश्त की भूमि है जिसके वे खातेदार काश्तकार हो चुके है किन्तु राजस्व रिकार्ड में वादीगण को गैरखातेदार दर्ज कर रखा है जिससे वादीगण के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है वादीगण अपने कब्जा काश्त की भूमि जो राजस्व रिकार्ड में गैरखातेदार दर्ज को बतौर खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.11.08 17:51:06 IST
Reason: SelfAttested

वादीगण ने अपने वाद के समर्थन में जमाबन्दी रोही मौजा बडबिराना खाता संख्या 411/388 , जमाबन्दी रोही मौजा बडबिराना खातासंख्या 435/414 , जमाबन्दी सम्वत 2012

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

से 15 रोही मौजा बडबिराना , सेटलमेन्ट जमाबन्दी सम्वत 2016 से 2020 जमाबन्दी सम्वत 2029 से 2038 रोही मोजा बडबिराना एव जमाबन्दी सम्वत 2016 –19 ,2041 ,2036 ,2049–42 ,2016–19 आगामी लगातार जमाबन्दीया एव गिरदावारीया एवं फर्द मौका पटवारी हल्का प्रस्तुत किया गया न्यायायिक दृष्टान्त आरबीजे 2012 पेज 438 ,आरआरटी 2006 पेज 802 , आरबीजे 2008 पेज 42, आरबीजे 2014 पेज 1220 प्रस्तुत किये गय

पेरोकार राज तहसीलदार राजस्व नोहर ने अपनी बहस में अपने जबाब में अंकित तथ्यों को दोहरातें हुए निवेदन किया की वर्तमान में रोही मौजा भूकरका उपनिवेशन क्षैत्र के अन्तर्गत आती है एवं राजस्व रिकार्ड में दर्ज अराजी काश्तकार टिनेन्सी एक्ट एवं उपनिवेशन अधिनियम के प्रावधानों के निशुल्क खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी नही है उपनिवेशन विभाग द्वारा समय समय पर जारी परिपत्र/अधिसुचनाओं के अधीन खातेदारी अधिकार कीमतन पाने का अधिकारी है

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा बडबिराना की जमाबन्दी सम्वत 2012 से 2015 के खाता संख्या 283 के साबिका खसरा न0 571/280 की 23.05 बीधा भूमि वादीगण के पूर्वज श्योजी वल्द किसना के नाम अराजी काश्त के रूप में दर्ज है जो प्रस्तुत जमाबन्दी सम्वत 2012 से 2015 ,2016 से 2020 2020 से 2024 लगातार एवं भू0प्रबन्ध विभाग की जमाबन्दीयों से पूर्णतया साबित है उक्त कथनों को पेरोकार राज के द्वारा भी स्वीकार किया गया है।

भू–प्रबन्धक विभाग के द्वारा पैमाईश के दोरान रोही मोजा बडबिराना के साबिका खसरा न0 571/280 की 34 बीधा के हाल खसरा न0 64 की 34 बीधा में पैमुद की गई थी जो सर्वे खसरा से पूर्णत्या साबित है तथा बीधा को हैक्टयर में परिर्वतन करने के उपरान्त वर्तमान राजस्व रिकार्ड में रोही मौजा बडबिराना के खाता संख्या 411/388 के खसरा न0 64/2 की 0.5030हैक्ट व खाता संख्या 435/414 के खसरा न0 64/4 की 0.1670हैक्ट में परिर्वतन पैमुद हुई है जो वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादीगण एव प्रतिवादीगण के न नाम गैरखातेदार के रूप में दर्ज है जो प्रस्तुत जमाबन्दी से साबित है जिसके सम्बध में पेरोकार राज ने भी स्वीकार किया है।

वादीगण के पूर्वज श्योजी वल्द किसना का देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान वादीगण एव तरतीबी प्रतिवादीगण है जिसके सम्बध में पेरोकार राज के द्वारा भी किसी प्रकार का ऐतराज पेश नही किया गया है तथा श्योजी वल्द किसाना के वारिसान के सम्बध में किसी प्रकार का ऐतराज भी प्रस्तुत नही हुआ है।

वादीगण के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के अनुसार रोही मौजा बडबिराना के साबिका खसरा न0 571/280 की कुल 34.00 बीधा भूमि सम्वत 2012 से लगातार आदिनांक तक पहले वादीगण के पूर्वज श्योजी वल्द किसना के कब्जा काश्त में रही तथा अब वादीगण के कब्जा काश्त में चली आ रही है जो प्रस्तुत जमाबन्दीयों गिरदावारीयों सम्वत 2012 से 2015 , तथा फर्द दस्तावेजात अनुसार प्रस्तुत आगामी जमाबन्दीयो/गिरदावारीयों से पूर्णत्याा साबित है तथा परोकार राज ने भी वाद भूमि के कब्जा काश्त के सम्बध में किसी प्रकार का ऐतराज नही किया।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 जो दिनांक 15.10.1955 को लागू किया गया था राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 15 से 19 में प्रावधान किया गया था कि जो काश्तकार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने के समय जिस भूमि पर काबिज था उसे उस भूमि का खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावे

वादीगण के द्वारा प्रस्तुत [illegible] श्योजी वल्द किसना के वाद भूमि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 लागू [illegible] पूर्व से ही कब्जा काश्त में थी अर्थात सम्वत 2012 से 2015 से पूर्व से ही [illegible] रही है जो प्रस्तुत जमाबन्दीयो/गिरदावरीयों से साबित है

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.11.08 17:51:06 IST
Reason: SelfAttested

वादीगण के पूर्वजों को केवल वाद भूमि राजस्व रिकार्ड में खातेदार होने से शेष रही अन्य भूमिया जो राजस्थान काश्तकार अधिनियम लागू होने के समय कब्जा काश्त में थी को

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

बतौर खातेदार दर्ज किया जा चुका है केवल मात्र वाद भूमि को भी बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज करवाने के अधिकारी है

तहसीलदार का दायित्व था कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 जो 15.10.1955 को लागू हुआ था के प्रावधानों के अनुसार उस समय जो भूमि जिस काश्तकार के कब्जा काश्त में थी को राजस्व रिकार्ड में बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज किया जाता यदि नही किया गया है तो काश्तकार के खातेदारी अधिकार समाप्त नही होते है वह कभी भी अपने हको की घोषणा करवा पाने के अधिकारी है

वादीगण का कथन है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 को दिनांक 15.10. 1955 को लागू किया गया था जिसमें प्रावधान था कि उक्त दिनांक के काश्तकारों को निशुल्क बतौर खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावे स्वीकार योग्य नही है क्योकि वर्तमान में रोही मौजा बडबिराना उपनिवेशन क्षैत्र धोषित हो चुका है इसलिये उपनिवेशन नियमों के तहत ही खातेदारी अधिकार प्राप्त कर सकता है उपनिवेशन क्षैत्र में आने वाली भूमि के खातेदारी अधिकार राज्य हकों को सुरक्षित रखने हेतु निम्न परिपत्रों के अनुसार ही दिये जाने उचित है।

पेरोकार राज का कथन है कि वादीगण के पिता/पूर्वज के कब्जा काश्त की भूमि बारानी क्षैत्र में थी जो वर्तमान में उपनिवेशन क्षैत्र में आती है अब वादीगण उपनिवेशन नियमों के तहत किमतन खातेदारी अधिकार प्राप्त किये जा सकते है।

राज्य सरकार के द्वारा समय समय पर 1957/1970 के तहत आवंटित भूमिया एवं सम्तव 2012 से पूर्व के कब्जा काश्त की भूमिया जो वर्तमान में उपनिवेशन क्षैत्र में आ गई है के खातेदारी अधिकार दिये जाने के सम्बध में परिपत्र /अधिसूचना जारी की गई है वादीगण उन्ही के तहत खातेदारी अधिकार प्राप्त कर सकता है एवं वादीगण इसके लिये सहमत भी है।

राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू–आवंटन) नियम 1957/1970 के तहत आवंटन की गई थी जो बाद में उपनिवेशन क्षैत्र में आ गयी इसप्रकार की भूमियों के खातेदार अधिकार प्रदान करने के लिए राजस्व (उपनिवेशन) विभाग जयपुर की अधिसूचना क्रमांक एफ–4 (2) उप/2005 जयपुर दिनांक 07.03.2008 द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (भाखडा नहर परियोजना क्षैत्र में सरकारी भूमि का आवंटन एवं विक्रय) नियम 1955 के नियम 17 में संशोधिन किया गया है कि जो भूमि 1957/1970 के नियमो के तहत आवंटित एव सम्वत 2012 से पूर्व के कब्जा काशत में थी और वर्तमान में उपनिवेशन क्षैत्र में आ गई है उसके खातेदार अधिकारो के लिए अनु0 जाति अनु0 जन जाति, अन्य पिछडा वर्ग व बीपीएल परिवारो से परियोजना क्षैत्र की निर्धारित आरक्षित दर का 10 प्रतिशत व अन्य जातियों के लिए 20 प्रतिशत राशि एक मुश्त वसूल कर खातेदारी अधिकार दिये जा सकते है। इस परियोजना क्षैत्र में भाखरा नहर परियोजना क्षैत्र के नियम व आरक्षित दरे लागू है। अधिसूचना दिनांक 07.03.2008 निम्नानुसार है :–

"Provided also that subject to the general or specific directions of the state Government, the temporary cultivation lease holders to whom land has been allotted under the Rajasthan Land Revenue (Allotment of Land for Agricultural Purposes) Rules, 1970, Whether they have acquired khatedari rights or not under the said rules and after declaration of such area as colony, such temporary cultivation lease holders shall be eligible for permanent allotment to the extent of ceiling limit under these rules on the payment of 20 % of the reserve price of general allotment in one installment, but in case of persons belonging to Scheduled Castes/Scheduled Tribes, OBC, Backward Classes or BPL Families, they shall pay 10% of the reserve price of general allotment in one installment."

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.11.08 17:51:06 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

इसी संबंध में राजस्व (उपनिवेशन) विभाग जयपुर के पत्रांक प–4 (2) उप/2005 जयपुर दिनांक 02.01.2008 द्वारा मार्गदर्शन प्रदान किया गया है कि राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू–आवंटन) नियम 1957/1970 में भूमि का अस्थायी आवंटन नहीं किया जाता है, बल्कि आवंटन से पहले गैर खातेदार के रूप में दर्ज किया जाता है एवं बाद में खातेदारी अधिकार प्रदान किये जाते है। ऐसी स्थिति में अस्थायी कृषि पट्टा धारक में नियम 1957/1970 के गैर खातेदारी को भी सम्मिलित माना जाकर कार्यवाही की जावे।

राजस्थान उपनिवेशन विभाग की अधिसुचना एफ 4(11) कोलो/96 दिनांक 18.01.2010 के परन्तु के अनुसार कोई व्यक्ति जिसे राजस्थान भू0 राजस्व (कृषि प्रयोजन के लिये भूमि का आवंटन) नियम 1970 के उपबन्धों के अधीन भूमि आवटित की गयी थी और तत्पश्चात ऐसा क्षेत्र उपनिवेशन झेत्र घोषित हो गया था और ऐसे आंवटियों को अस्थाई खेती पटटा धारक माना गया था भूमि कुल कीमत का संदाय करने पर तुरन्त वह खातेदारी अधिकार प्रदत्त करने वाली सनद प्राप्त करने का हकदार होगा।

इस प्रकार राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू–आवंटन) नियम 1970 के तहत गैर खातेदार दर्ज आसामियों को अस्थायी काश्तकार माना जाकर उक्त अधिसूचना दिनांक 07.03.08 के अनुसार एक मुश्त राशि वसूल कर खातेदारी अधिकार प्रदान किये जा सकते है।

वादीगण के पिता श्योजी वल्द किसना जाति जाट साकिन ढिलकी जाटान (जो अन्य पिछडा वर्ग जाति का सदस्य है) को रोही मौजा बडबिरान के साबिका खसरा न0 571/280 हाल खसरा न0 64/2 की 0.5030है व खसरा न0 64/4 की 0.1670हैक कुल 0.673हैक भूमि जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 जो दिनांक 15.10.1955 को लागू किया गया था कि धारा 15 से 19 के प्रावधानो के अनुसार जो काश्तकार 15.10.1955 अर्थात सम्वत 2012 से 2015 की जमाबन्दी /गिरदावारीयों में बतौर काश्तकार दर्ज था एव भूमि कब्जा काश्त में थी को राजस्व रिकार्ड में बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज किया जाने का प्रावधान किया गया था वादीगण के पूर्वज श्योजी वल्द किसना के वाद भूमि सम्वत 2012 से पूर्व से ही वाद भूमि कब्जा काश्त में चली आ रही थी जो प्रस्तुत दस्तावेजात से साबित है अर्थात वादीगण के पूर्वज के श्योजी वल्द किसना के वाद भूमि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 लागू होने के समय कब्जा काश्त मे होने के कारण वादीगण के पूर्वज वाद भूमि को बतौर खातेदार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी थे यदि किसी कारणवंश वाद भूमि बतौर खातेदार दर्ज नही करने से वादीगण के पूर्वजों के खातेदारी अधिकार समाप्त नही होते है बल्की वह कभी भी अपने हकों की घोषणा करवाकर वाद भूमि को बतौर खातेदारी अधिकार प्राप्त कर सकता है किन्तु वाद भूमि वर्तमान में उपनिवेशन क्षेत्र में आने के कारण समय समय पर जारी परिपत्रों के परिपेक्ष्य में भूमि के खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी है

वादीगण ने अपने वाद के समर्थन में न्यायायिक दृष्टान्त आरबीजे 2012 पेज 438 ,आरआरटी 2006 पेज 802 , आरबीजे 2008 पेज 42, आरबीजे 2014 पेज 1220 प्रस्तुत किये गये

उक्त दृष्टान्तों में भी प्रतिपादित किया गया है कि जो काश्तकार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 जो दिनांक 15.10.1955 को लागू किया गया था कि धारा 15 ,19 के प्रावधानों के अनुसार जो काश्तकार सम्वत 2012 से 2015 या उससे पूर्व की जमाबन्दीयो/गिरदावरीयो में बतौर काश्तकार दर्ज है और भूमि कब्जा काश्त में है को बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज किया जावे।

वादीगण के पूर्वज श्योजी वल्द किसना [illegible] के वाद भूमि सम्वत 2012 से पूर्व अर्थात राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 195[illegible] जो दिनांक 15.10.1955 को लागू हुआ था के समय बतौर काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज था भूमि कब्जा काश्त में थी जो वर्तमान में उपनिवेशन क्षेत्र में आती है को खातेदारी अधिकारी दिये जाने हेतु राज्य सरकार के द्वारा समय समय पर उक्तानुसार परिपत्र/अधिसुचना [illegible] जारी की गई है उन्ही के तहत खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.11.08 17:51:06 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

उपरोक्त विवेचन एव प्रस्तुत दस्तावेजात से साबित हो चुका है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 जो दिनांक 15.10.1955 को लागू हुआ था के समय वाद भूमि वादीगण के पूर्वज श्योजी वल्द किस्ना के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी एव कब्जा काश्त में होना भी साबित है अर्थात वादीगण वाद भूमि को बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज करवा पाने के अधिकारी है किन्तु वाद भूमि जो वर्तमान में उपनिवेशन क्षेत्र में आती है राज्यहको के मध्यनजर वादीगण राज्य सरकार के द्वारा ऐसी भूमियो के खातेदारी अधिकारी दिये जाने के लिये समय समय पर परिपत्र/अधिसूचनाऐं जारी की गई है के परिपेक्ष्य में खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी है

अतः वाद वादीगण साक्ष्य सबुतों के आधार पर एवं राज्य सरकार के द्वारा समय समय पर जारी परिपत्र/अधिसुचनाओं के परिपक्ष्य में साबित होने के कारण वाद वादीगण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा बडबिराना के खाता संख्या 411/388 के खसरा नम्बर 64/2 की 0.506हैक व खाता संख्या 435/414 के खसरा न0 64/4 की 0.1670हैक कुल 0.673हैक भूमि जो वर्तमान में भाखडा नहर परियोजना क्षैत्र में आती है की आरक्षित दर 4000/– प्रतिबीधा का 20 प्रतिशत 800/–प्रतिबीधा की दर से राशि एक मुश्त जमा होने के बाद वादीगण एवं तरतीबी प्रतिवादीगण 2 ता 17 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर जमाबन्दी सशोधन की जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे पर्चा डिक्री जारी कि जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 04/11/2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरेईजलास में सुनाया गया

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.11.08 17:51:06 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

(आडॅर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अज अदालत :– पंकज गढवाल (आर.ए.एस)

अनवान :–

1. विनोद कुमार पुत्र मेहरचन्द जाति जाट निवासी ढिलकी जाटान तहसील नोहर
2 महावीर पुत्र लिखमा जाति जाट निवासी ढिलकी जाटान तहसील नोहर
3 सुभाष पुत्र ख्यालीराम जाति जाट निवासी ढिलकी जाटान तहसील नोहर

वादीगण

बनाम

1 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

असल प्रतिवादी

2 अन्नपुर्णी पत्नी मेहरचन्द जाति जाट निवासी ढिलकी जाटान तहसील नोहर
3 जयकौरी पुत्री लिखमा जाति जाट निवासी ढिलकी जाटान तहसील नोहर
4 मोहनी पुत्री लिखमा जाति जाट निवासी ढिलकी जाटान तहसील नोहर
5 रोशनी पुत्री लिखमा जाति जाट निवासी ढिलकी जाटान तहसील नोहर
6 विधा पुत्री लिखमा जाति जाट निवासी ढिलकी जाटान तहसील नोहर
7 कृष्णा पत्नी कुरडाराम जाति जाट निवासी ढिलकी जाटान तहसील नोहर
8 कालूराम पुत्र कुरडाराम जाति जाट निवासी ढिलकी जाटान तहसील नोहर
9 संदीप कुमार पुत्र कुरडाराम जाति जाट निवासी ढिलकी जाटान तहसील नोहर
10 राजबाला पुत्री कुरडाराम जाति जाट निवासी ढिलकी जाटान तहसील नोहर
11 विमलादेवी पुत्री कुरडाराम जाति जाट निवासी ढिलकी जाटान तहसील नोहर
12 सुमन पुत्री कुरडाराम जाति जाट निवासी ढिलकी जाटान तहसील नोहर
13 फूली पत्नी पतराम जाति जाट निवासी ढिलकी जाटान तहसील नोहर
14 विमला पुत्री पतराम जाति जाट निवासी ढिलकी जाटान तहसील नोहर
15 जयसिह पुत्र पतराम जाति जाट निवासी ढिलकी जाटान तहसील नोहर
16 बनवारी पुत्र पतराम जाति जाट निवासी ढिलकी जाटान तहसील नोहर
17 लालचन्द पुत्र पतराम जाति जाट निवासी ढिलकी जाटान तहसील नोहर

तरतीबी प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 779 सन 2021 निर्णय दिनांक –04/11/2024

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादीगण एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो राज्य सरकार के द्वारा जारी परिपत्रों/अधिसूचनाओं के आधार पर साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा बडबिराना के खाता संख्या 411/388 के खसरा नम्बर 64/2 की 0.506हैक्ट व खाता संख्या 435/414 के खसरा न0 64/4 की 0.1670हैक्ट कुल 0.673हैक्ट भूमि जो वर्तमान में भाखडा नहर परियोजना क्षैत्र में आती है की आरक्षित दर 4000/– प्रतिबीधा का 20 प्रतिशत 800/–प्रतिबीधा की दर से राशि एक मुश्त जमा होने के बाद वादीगण एवं तरतीबी प्रतिवादीगण 2 ता 17 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर जमाबन्दी सशोधन की जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे

निर्णय आज दिनांक 04/11/2024 को [illegible] लिखाया जाकर मजमें आम में सुनाया गया ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.11.08 17:51:06 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)